



पर्सनल लोन अत्यंत महत्वपूर्ण नियम व शर्तें

- 1) यह दस्तावेज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (''बैंक'') से पर्सनल लोन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का वर्णन करता है। इन अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के साथ पर्सनल लोन की शर्तें (बैंक की वेबसाइट <https://www.sc.com/global/av/in-scb-pl-terms-n-Conditions.pdf> पर भी उपलब्ध हैं), ग्राहक की शर्तें (यह भी बैंक की वेबसाइट <https://www.sc.com/in/assets/pws/pdf/Client-Terms-and-condition> पर उपलब्ध) बैंक द्वारा पर्सनल लोन्स के प्रावधान को अधिशासित करती हैं। कर्जदार स्वीकार करता है कि उसने बैंक से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले इन्हें पढ़ और समझ लिया है। मुख्य शर्तें भी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा कर्जदार को समझाई गई हैं। की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो हर कर्जदार के लिए विशेष होता है बैंक द्वारा कर्जदार को अलग से प्रदान किया जाता है।
- 2) कर्जदार अपनी किसी भी जानकारी या अपनी क्रेडिट की स्थिति को किसी से भी सत्यापित करने के लिए बैंक को अधिकृत करता है जिसे बैंक उचित समझता हो (जैसे कि कोई प्राधिकरण या क्रेडिट रेफरेंस या रेटिंग एजेंसी)।
- 3) कर्जदार इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स (ईएमआई) के माध्यम से पर्सनल लोन की चुकौती करेगा और ईएमआई राशि की चुकौती के लिए माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेस (''ईसीएस'') या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का चयन करेगा। किसी दोष के मामले में बकाया पर्सनल लोन की वसूली के लिए बैंक द्वारा ईसीएस / स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4) बैंक द्वारा पर्सनल लोन देने से इनकार किए जाने के मामले में कर्जदार द्वारा बैंक को दिए गए पर्सनल लोन के संबंध में बैंक सभी या कोई भी दस्तावेज नहीं लौटाएगा, जिसमें शामिल हैं कोई भी केवाईसी दस्तावेज।
- 5) कर्जदार बैंक को लिखित रूप में कम से कम 21 कार्य दिनों की सूचना देते हुए और निम्नलिखित का भुगतान करते हुए 12 से 60 महीनों के बीच किसी भी समय, संपूर्ण पर्सनल लोन की चुकौती कर सकता है:
 - क. पर्सनल लोन का बकाया मूलधन; और
 - ख. सभी बकाया ईएमआई, ब्याज, शुल्क और लागू कर; तथा
 - ग. प्रभारों की अनुसूची में वर्णित दरों पर चुकौती प्रभार जो बैंक की वेबसाइट <https://www.sc.com/in/deposits/schedule-of-charges/> → **Personal Loan** पर उपलब्ध हैं
 - घ. बैंक द्वारा लिखित रूप में जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया जाता, लोन के 12 महीने पूर्ण होने के बाद।
- 6) बैंक अपने यहां खाता खोलते समय या बैंक से कोई अन्य उत्पाद या सेवा प्राप्त करते समय कर्जदार को पर्सनल लोन देने के प्रयोजन हेतु कर्जदार द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर रहेगा और उसका उपयोग करेगा। कर्जदार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के पास कर्जदार की जनाकारी सही, पूर्ण और अद्यतन होनी हो। यदि कर्जदार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी में बदलाव होता है तो कर्जदार बैंक को 30 कैलेंडर दिनों के अंदर सूचना देगा। नई जगह जाने पर या किसी अन्य कारण से पते में बदलाव होने की विशिष्ट स्थिति में, कर्जदार ऐसे बदलाव के दो सप्ताह के अंदर बैंक को नए पते की सूचना देगा।
- 7) स्थानीय कानूनों के अधीन, बैंक या उसके कोई भी संलग्न संस्थान (शाखा सहित) देशी या विदेशी विनियामकों या कर प्राधिकारियों के साथ कर्जदार की जानकारी साझा कर सकते हैं जहां कहीं भी आवश्यक हो ताकि विनियामकों या प्राधिकरणों या अन्यथा के आदेशों, समझौतों के अनुसार किसी अधिकार क्षेत्र में कर्जदार की कर देयता स्थापित की जा सके।

- 8) बैंक किसी भी समय पर्सनल लोन अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है (और बाद में ब्लॉक को हटा सकता है), बशर्ते बैंक को किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक होता है, या बैंक को अन्यथा कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक होता है या किसी विनियामक या किसी प्राधिकरण के साथ समझौतों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक होता है, या यदि बैंक को किसी संबंधित लागू आदेश या प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ अंतर्गत नीतियों का अनुपालन करना जरूरी होता है.
- 9) ईएमआई माफी/कैश बैंक स्कीम-यदि कर्जदार ने ईएमआई माफी/कैशबैंक स्कीम को चुना है तो कर्जदार अंतिम ईएमआई माफी/कैश बैंक के लिए केवल तभी पात्र होगा जब संपूर्ण लोन की अवधि के दौरान किसी भी कारण से ईएमआई बाउंस का कोई भी मामला न हो या ईएमआई के भुगतान में विलंब न हो. अंतिम ईएमआई माफी का ऑफर केवल तभी लागू है जब कर्जदार लोन की संपूर्ण अवधि को पूरा करे और यह लोन की अवधि पूर्व समापन के रोके जाने के मामले में होगा. बैंक का निर्णय कर्जदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा. बैंक किसी भी समय ईएमआई की माफी/कैशबैंक स्कीम बिना कोई कारण दिए किसी भी समय रोक या वापस ले सकता है. बैंक ईएमआई माफी/कैश बैंक स्कीम के अंतर्गत अपनी इच्छा के अधीन लोन की प्रक्रिया कर सकता है और यह उन नियमों व शर्तों के अधीन होगा जो समय समय पर बैंक द्वारा परामर्शित किए गए हों.
- 10) कर्जदार पर्सनल लोन का उपयोग दर्ज की गई लाइन पर आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए सख्ती से करेगा और न कि किसी सट्टे या समाज विरोधी प्रयोजन के लिए. यदि बैंक की राय से पर्सनल लोन का उपयोग उल्लेख के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है तो बैंक पर्सनल लोन को वापस ले सकता है.
- 11) कर्जदार किसी बैंक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित नहीं है, न ही भारत में किसी अन्य बैंक के किसी निदेशक से संबंधित है. यदि ऐसा मामला नहीं है तो कृपया उसके बारे में बैंक प्रतिनिधि को सूचित करें.
- 12) कर्जदार बैंक को कर्जदार को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के मासिक विवरण क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) को देने के लिए अधिकृत करता है. ऐसे विवरणों में शामिल हैं बैंक से कर्जदार ली गई राशि (भले कर्जदार ने दी गई राशि पर विवाद उठाया हो या कर्ज में ली गई राशि का निपटारा करने के लिए बैंक से समझौता किया हो) और कर्जदार की चुकौती का इतिहास. बैंक सीआईसी से अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा कर्जदार को दी गई कर्ज की सुविधाओं के विवरण भी दे सकता है. बैंक ऐसी जानकारी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करेगा कि बैंक कर्जदार को अतिरिक्त कर्ज की सुविधा देगा या नहीं. कर्जदार के खाते को नियमित करने पर, बैंक सीआईसी को जानकारी देगा. कर्जदार बैंक को दी गई कोई भी जानकारी का सत्यापन करने के लिए बैंक को उसकी कर्ज संबंधी साख की पुष्टि किसी से भी करने के लिए बैंक को अधिकृत करता है, जैसा कि बैंक को उचित लगे (जैसे कि कोई प्राधिकरण या क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी या क्रेडिट ब्यूरो);
- यह भी पुष्टि करता और सहमति देता है कि बैंक इस आवेदन के संबंध में कोई जानकारी (व्यक्तिगत जानकारी सहित) लोन आवेदन (डेटा प्रक्रिया सहित) या पर्सनल लोन उत्पाद खूबियों के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए किसी सेवा प्रदाता (चाहे भारत में हो या बाहर) को देने सकता है और समझता है कि बैंक सेल्स एजेंट या निकाय को उत्पाद के लिए मेरे आवेदन की स्थिति प्रकट करेगा जिसके पास मैंने अपना आवेदन जमा किया है.
- 13) अधिशासक कानून और अधिकारक्षेत्र – पर्सनल लोन का अधिशासन भारत के कानूनों के द्वारा किया जाएगा.
- पर्सनल लोन के चलते या के संबंध में उभरने वाले सभी दावे और विवादों का निपटारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऐक्ट, 1996 के प्रावधानों और उक्त कानून में किसी क्रमिक विधिक संशोधन, यदि हो, के अनुसार आर्बिट्रेशन द्वारा किया जाएगा, जो बैंक द्वारा नियुक्त एकल आर्बिट्रेटर द्वारा संपन्न किया जाएगा जहां रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ज्युरिस्टिक्शन ड्यू टू बैंक्स एंड फायनांशियल ऐक्ट, 1993 के अंतर्गत स्थापित डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र में आनेवाले दावे या विवाद को छोड़कर है. पारित कोई भी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड/ निर्देश पक्षों और संस्थानों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा. आर्बिट्रेशन की भाषा इंग्लिश होगी और ऐसे आर्बिट्रेशन का स्थान मुंबई में होगा.
- 14) घोषित करता और निवेदन करता है कि आवेदन के संबंध में सारी/कोई भी जानकारी (किन्हीं दस्तावेजों सहित) जो आपने हमें दी है वह सही, पूर्ण है और भ्रामक नहीं है. (यदि ऐसा नहीं है तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे)